

17.7.19

बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी न अपीलान्ट और न अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली दिनांक 16.10.18 से इस्थो० की तर्की वाबत रजि० AD पेश करने हेतु जोरकार है आज कोई भी अपीलान्ट पक्ष की ओर से उपस्थित नहीं है। अतः पत्रावली अदम दायरी अदम पैरवी व अदम तर्कील में रवारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाया दारिबल दफतर से।

①

मुन्सिफ
दर
राज्य न्याय विभाग
जयपुर न्याय-वीथी